राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/सि.पा.ला./2016–17/1872-2087 दिनांक : 29.4.2016

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, ...

विषयः– वर्ष 2016–17 मे आर.के.वी.वाई, राज्य योजना, एन.एम.ओ.ओ.पी, एन.एफ.एस.एम योजनान्तर्गत सिंचाई पाईप लाईन कियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः– आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 332–498 दि0 04.04.2016 एवं पत्रांक 755–876 दि0 06.04.2016 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में आर.के.वी.वाई, राज्य योजना, एन.एम.ओ.ओ.पी, एन.एफ.एस.एम. योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में सिंचाई पाईप लाईन कियान्वयन के क्रम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। वर्ष 2016–17 मे ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रकिया की कार्यवाही की जावे। माह जून–जुलाई, 2016 में शिविर आयोजित कर कृषकों से सिंचाई पाईप लाईन के ऑन–लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. नीरज के.पवन)
आयुक्त कृषि एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/सि.पा.ला./2016–17/1872-2087 दिनांक : 29.4.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी. समस्त।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ..... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, ... समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
24. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...
25. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।
26. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर
सिंचाई पाईप लाईन
वर्ष 2016–17
सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान भूगर्भीय जल की कमी वाला राज्य है। यहॉ पर राष्ट्रीय संसाधनों का मात्र 1 प्रतिशत जल, 11 प्रतिशत भू–क्षेत्रफल एवं 5 प्रतिशत जनसंख्या है। उपलब्ध जल संसाधनो का अधिक से अधिक दोहन करने पर भी लगभग 32 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र मे ही सिंचाई के साधन जुटा पाये है। अनियमित एवं अपर्याप्त वर्षा के कारण निरन्तर अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी क्षेत्र मे बनी रहती है तथा सिंचाई हेतु जल सीमित मात्रा मे उपलब्ध हो पाता है। राज्य की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या तथा औद्योगिकरण के कारण सिंचाई के साथ–2 अन्य उपयोगों (घरेलु व औद्योगिक) हेतु भी जल की मॉग बढ़ती जा रही है।

अतः राज्य में उपलब्ध सतही जल एवं भूमिगत जल का कुशलतम् उपयोग आज की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति मे इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण, कुशल उपयोग कर अधिक क्षेत्र मे सिंचाई उपलब्ध कराना तथा प्रति इकाई जल से अधिक लाभ प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में सिचाई पाईप लाइन के उपयोग से 20 से 25 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है।

अनुदान की पात्रता : –

1. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होगें। सामलाती कुॅए पर अलग–2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग–2 पाईप लाइन पर अनुदान की मॉग करते है तो अलग–अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग–अलग होना आवश्यक है। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग–2 अनुदान देय होगा।
2. कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
3. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमे आवंटित कुल लक्ष्यो मे से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत एवं लघु/सीमान्त कृषको को 33 प्रतिशत प्राथमिकता प्रदान की जावे। अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।
4. जिले को आवंटित लक्ष्यों मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य **मनरेगा** के माध्यम से पूर्ण कराये जावे। जिले में कृषक द्धारा पीवीसी पाईनलाइन कय किये गये पाइपों को भूमि में दबाये जाने का श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से कराये जाने पर प्राथमिकता प्रदान की जाकर लक्ष्यों की पूर्ति की जावें ।

5. महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियो के कियान्वयन के संबंध मे कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र कंमांक प8(5)आ.कृ./ज.उ/नरेगा/ 2014–15/6616–6713 दि. 22.01.2015 के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी अपलोड है।
6. जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा नहर/बॉध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु पाईप लाइन पर अनुदान देय होगा।
7. जिन कृषकों के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाइन स्थापित करना चाहते है तो ऐसे कृषकों द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक जिससे पानी लिया जा रहा है, से सादा पेपर पर एक प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि वह बिना सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक को अपने सिंचाई स्त्रोत से पानी उपलब्ध कराता रहेगा।
8. लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों की श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र के अभाव में सहायक निदेशक, कृषि(वि.)/उप निदेशक कृषि(वि.) जिला परिषद् अपने स्तर पर जमाबन्दी/पासबुक के आधार पर कृषक के जोत/जाति/लिंग/श्रेणी का निर्धारण करते हुए अनुदान स्वीकृत कर सकते है। जमाबंदी की नकल छाया प्रति छः माह से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिये।
9. कृषको को पाईप लाइन पर अनुदान नकद या बैंक से ऋण लेकर क्रय करने पर दोनों ही स्थितियों में देय होगा।
10. कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस. मार्का पाईप क्रय करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही कृषकों को अनुदान देय होगा। अनुदान पर वितरित किये जाने वाले प्रत्येक पाईप पर निर्मित वर्ष, अनुदान पर वितरित का Emboss करना होगा तथा औचित्य वर्ष में निर्मित एवं विक्रय किए गए पाईपों पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। साथ ही औचित्य वर्ष में निर्मित पाईपों में से शेष रहे पाईपों पर अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में भी देय होगा।
11. वित्तीय वर्ष में निर्मित शेष रहे स्टॉक की सूचना संबंधित निर्माता द्वारा जिलें के उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगें। सूचना के अभाव में अनुदान देय नहीं होगा।
12. वित्तीय वर्ष में पाईप निर्माताओं द्वारा जिलें में चयनित डीलर्स के माध्यम से पाईपों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की सूची उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय को भिजवायी जायेगी तथा डीलर द्वारा सपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जावेगा की MRP से अधिक का बिल नहीं काटा जायेगा।
13. जिला स्तर पर आवेदित कृषको के समस्त रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।
14. उप निदेशक कृषि विस्तार अधीन उप जिलों को आंवटित लक्ष्यों को आवश्यकतानुसार उप जिलों में स्थानान्तरण कर सकता है। लक्ष्य स्थानान्तरण 25, जून 2016 तक करके मुख्यालय कों सूचना भिजवायी जायें। इसके बाद स्थानान्तरण स्वीकार नही किये जायेगें।